रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 181] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 6, 2015/आषाढ़ 15, 1937
No. 181] NEW DELHI, MONDAY, JULY 6, 2015/ASADHA 15, 1937

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 जुलाई, 2015

विषय : चीन जन.गण. की मूल की अथवा वहां से निर्यातित डिजिटल आफसेट प्रिंटिंग प्लेट्स के आयातों पर अधिरोपित पाटनरोधी शुल्क की मध्यावधि समीक्षा समाप्त करना।

फा. सं.15/27/2013-डीजीएडी.—वर्ष 1995 में यथा-संशोधित सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 और यथासंशोधित सीमाशुल्क प्रशुल्क (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे एतद्पश्चात पाटनरोशी नियमावली कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए, चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु पर अधिरोपित पाटनरोधी शुल्क की पूर्वोक्त नियमावली के नियम 23 में उल्लिखित शर्तों के अनुसार मध्यावधि समीक्षा की जरूरत के लिए साक्ष्यांकित और बदली हुई परिस्थितियों के संबंध में सकारात्मक सूचना प्रदान करते हुए नौएडा आफसेट प्रिंटर्स एसोसिएशन और आंध्र प्रदेश प्रिंटर्स एसोसिएशन (संबद्ध वस्तु के प्रयोक्ता उद्योगों के एसोसिएशन) द्वारा दायर याचिका के आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे एतद्पश्चात प्राधिकारी कहा गया है) ने चीन जन.गण. (जिसे एतद्पश्चात संबद्ध देश कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित डिजिटल आफसेट प्रिंटिंग प्लेट्स (जिसे एतद्पश्चात संबद्ध वस्तु कहा गया है) के आयातों पर मूल जांच में दिनांक 03 अक्तूबर, 2012 के अंतिम जांच परिणाम में निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा की गई सिफारिश के अनुसरण में दिनांक 03.12.2012 की अधिसूचना संख्या 51/2012-सीमाशुल्क (एडीडी) के तहत अधिरोपित पाटनरोधी शुल्क की मध्यावधि समीक्षा जांच की शुरूआत दिनांक 26 सितम्बर, 2014 की अधिसूचना संख्या 15/27/2013-डीजीएडी के तहत की थी।

2. याचिकाकर्ताओं ने अपनी याचिका में यह दावा किया है कि अब पाटन एवं क्षति दोनों की परिस्थितियों में भारी अंतर आ गया है जिससे यह अपेक्षा की जाती है कि प्रभावी पाटनरोधी साधन की समीक्षा की जाए। उन्होंने उल्लेख किया कि एल्युमिनियम, जो इस संबद्ध वस्तु का विनिर्माण करने के लिए प्रमुख कच्चा माल है, की कीमतें, शुल्क का अधिरोपण करने के पश्चात विश्व बाजार में बहुत कम हो गई है, जिसका

उत्पादन लागत पर प्रभाव पड़ता है और इसलिए निर्यातकों के सामान्य मूल्य तथा घरेलू उद्योग की गैर-क्षतिकारी कीमत की, पाटन एवं क्षति की मात्रा एवं सीमा तथा शुल्क की निरंतरता बनाए रखने अथवा उसमें संशोधन करने की जरूरत की समीक्षा करना आवश्यक हो गया है।

3. इसके अतिरिक्त, यह भी प्रस्तुत किया गया कि मूल जांच में जांच की अवधि की तुलना में भारतीय रुपए के मूल्य में भारी वृद्धि होने के कारण भारत में संबद्ध वस्तु के आयातों की उतराई कीमत में भारत में उत्पादन लागत में भारी वृद्धि हुए बिना, पर्याप्त मात्रा में वृद्धि हो गई है। इसलिए, इस बात की संभावना है कि क्षति मार्जिन अब ऋणात्मक हो जाए और इसलिए शुल्क का प्रतिसंहरण करने की समीक्षा करना आवश्यक हो गया है।

4. याचिकाकर्ताओं ने यह तर्क दिया है कि डालर के साथ-साथ रुपए के मूल्य में बढ़ोतरी होने के कारण संबद्ध वस्तु की उतराई कीमत में घरेलू उद्योग की मौजूदा गैर-क्षतिकारी कीमत से काफी अधिक वृद्धि हो गई है जिसके कारण शुल्क का प्रतिसंहरण करना आवश्यक हो गया है।

5. याचिकाकर्ताओं ने पुन: यह दावा किया है कि घरेलू उद्योग की स्थिति में अब भारी सुधार हो गया है और संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु का प्रत्यक्ष पाटन अब नहीं हो रहा है। इसलिए, संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु पर पाटनरोधी शुल्क के सतत अधिरोपण की जरूरत की जांच करना अनिवार्य हो गया है क्योंकि पाटन एवं क्षति की स्थिति में अब परिवर्तन आ गया है और अब घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हो रही है।

6. तदनुसार, जांच शुरूआत अधिसूचना में यह उल्लेख किया गया कि इस समीक्षा में बदली हुई परिस्थितियों पाटन एवं क्षति की मात्रा एवं सीमा सहित दिनांक 03 अक्तूबर, 2012 की अधिसूचना संख्या 14/07/2011-जीडीएडी के सभी पहलू कवर होंगे।

7. नियमावली के अनुसार, इस मध्यावधि समीक्षा जांच की शुरूआत के बारे में सभी ज्ञात हितबद्ध पक्षकारों, जिनमें घरेलू उद्योग, निर्यातक, आयातक और चीन जन.गण. की सरकार शामिल है, को सूचना दी गई जिससे कि वे अपना प्रत्युत्तर दायर कर सकें। मध्यावधि समीक्षा जांच की शुरूआत के प्रत्युत्तर में इस उत्पाद के घरेलू उद्योग अर्थात मैसर्स टेकनोवा इमेजिंग सिस्टम्स लिमिटेड ने अपनी क्षति एवं लागत सूचना की समीक्षा करने के लिए अपने लागत एवं क्षति आंकड़े दायर किए। चीन जन.गण. के एक उत्पादक निर्यातक अर्थात मैसर्स कोडक ग्राफिक कम्युनिकेशन्स कंपनी लिमिटेड और इसकी एसोसिएटिक कंपनियों अर्थात मैसर्स कोडक (चीन) इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड; और मैसर्स कोडक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने अपनी निर्यातक और आयातक प्रश्नावली प्रत्युत्तर दायर किया।

8. तथापि, दोनों याचिकाकर्ताओं अर्थात नौएडा आफसेट प्रिंटर्स एसोसिएशन और आंध्र प्रदेश प्रिंटर्स एसोसिएशन ने अपने क्रमश: दिनांक 31 जनवरी और 21 फरवरी, 2015 के पत्रों के तहत अपनी याचिका वापस ले ली और उन्होंने इस आधार पर यह जांच समाप्त करने का अनुरोध किया कि उनकी घरेलू उद्योग के साथ एक सूझबूझ बन गई है कि वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी कीमतों पर वैश्विक स्टैंडर्ड की अत्याधुनिक डिजिटल प्लेट्स की आपूर्ति संपूर्ण तकनीकी सहायता के साथ करेंगे। याचिकाकर्ताओं ने अन्य बातों के साथ-साथ, यह प्रस्तुत किया कि मध्यावधि समीक्षा करने के लिए आवेदन पत्र दायर करने के पश्चात कतिपय नाजुक विकास हुए हैं और उन परिस्थितियों में भारी अंतर आ गया है जिसके कारण उन्होंने मध्यावधि समीक्षा के लिए आवेदनपत्र दायर किया है। इन एसोसिएशनों ने घरेलू उद्योग अर्थात मैसर्स टेक्नोवा इमेजिंग सिस्टम्स (प्राइवेट) लिमिटेड (टीआईएसपीएल) के साथ एक समझौता ज्ञापन कि है जिसके तहत उन्होंने आश्वासन दिया है कि :

(i) टीआईएसपीएल का अपने प्रयोक्ताओं को उचित कीमत वाले उत्पादों से वंचित करने का अथवा चीन जन.गण. से आयातित संबद्ध वस्तु पर भारत सरकार द्वारा अधिरोपित पाटनरोधी शुल्क का अनुचित लाभ उठाने का कोई इरादा नहीं है।

(ii) टीआईएसपीएल भारतीय मुद्रण उद्योग को अत्याधुनिक डिजिटल प्लेटें संपूर्ण तकनीकी सहयोग सहित वैश्विक प्रतिस्पर्धी कीमतों पर प्रदान कराने, आसान उपलब्धता, राष्ट्रव्यापी एक जैसी एवं पारदर्शी कीमत निर्धारण करने, तकनीकी उन्नयित प्रशिक्षण कार्यक्रम और सर्वाधिक महत्वपूर्ण ढंग से, ऐसे बिजनेस इथिक्स प्रदान करने, जिनके साथ समझौता नहीं किया जा सकता, के लिए समर्पित है।

(iii) टीआईएसपीएल प्रयोक्ता उद्योग की जरूरत को अच्छी तरह से समझने और उनको सर्वोत्तम ढंग से सेवा प्रदान करने के लिए उनके साथ वार्ता करेगा।

9. इसके अतिरिक्त, याचिकाकर्ता एसोसिएशनों ने यह भी प्रस्तुतिकरण किया है कि वे टेक्नोवा द्वारा डिजिटल प्रिंटिंग प्लेट्स की गुणवत्ता और कीमतों के संबंध में प्रयोक्ता उद्योग और एसोसिएशन के सदस्यों के साथ प्रतिबद्धता एवं दिए गए आश्वासन से संतुष्ट है। इसलिए, निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा यथासंस्तुत और दिनांक 03 दिसम्बर, 2012 की वित्त मंत्रालय की सीमाशुल्क अधिसूचना संख्या 511/2012-सीमाशुल्क (एडीडी) द्वारा उदग्रहीत मौजूदा पाटनरोधी शुल्क में किसी संशोधन की मांग करने का आग्रह नहीं किया है।

10. उपर्युक्त विकास के मद्देनजर प्राधिकारी ने यह निश्चय करने से पहले कि याचिकाकर्ताओं के अनुरोध पर जांच को अथवा उनके समक्ष उपस्थित परिवर्तित परिस्थितियों के मद्देनजर जांच की निरंतरता को समाप्त करने का निर्धारण करने से पहले सभी हितबद्ध पक्षकारों को सुनवाई का एक अवसर प्रदान करने का अवसर दिया जाए। तदनुसार, दिनांक 15.05.2015 को एक सुनवाई का आयोजन किया। इस सुनवाई में उद्योग अर्थात मैसर्स टेक्नोवा के प्रतिनिधियों चीन जन.गण. के प्रतिभागिताकारी उत्पादकों/निर्यातकों अर्थात मैसर्स कोडक चीन; और आल इंडिया फेडरेशन आफ मास्टर प्रिंटर्स द्वारा प्रतिभागिता की गई। चीन के राजदूतावास के प्रतिनिधियों द्वारा भी इस सुनवाई में भाग लिया गया। तथापि, याचिकाकर्ता एसोसिएशनों ने इस सुनवाई में भाग नहीं दिया।

11. इस सुनवाई में भाग लेने वाले पक्षकारों को निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा यह सुझाव दिया गया कि वे अपने लिखित प्रस्तुतिकरण दायर करे जिससे कि अंतिम निर्णय लिया जा सके। हितबद्ध पक्षकारों द्वारा मौखिक के साथ-साथ लिखित प्रस्तुतिकरणों में अभिव्यक्त विचार निम्नलिखित हैं :

घरेलू उद्योग के विचार

12. घरेलू उद्योग अर्थात मैसर्स टेक्नोवा ने अपने प्रस्तुतिकरणों में अन्य बातों के साथ-साथ, यह प्रस्तुत किया कि घरेलू उद्योग और अपने-अपने संबंधित क्षेत्रों के वाणिज्यिक प्रिंटरों का प्रतिनिधित्व करते हुए वाणिज्यिक प्रिंटरों की 67 एफिलिएट एसोसिएशनों को मिलाकर बने भारतीय वाणिज्यिक प्रिंटर्स एसोसिएशन जिनमें प्रिंटर्स भी शामिल हैं, के शीर्ष निकाय अर्थात मैसर्स आल इंडिया फेडरेशन आफ मास्टर प्रिंटर्स (एआईएफएमपी) के साथ एक समझौता ज्ञापन के अंतर्गत घरेलू उद्योग ने अन्य बातों के साथ-साथ, भारत में संबद्ध वस्तु की, एल्युमिनियम की कीमतों तथा अन्य इनपुट सामग्री की कीमतों के अनुरूप उचित कीमत सुनिश्चित करने का वचन दिया है। इस बात पर भी सहमति हुई कि अंतनिर्विष्ट लागत की भिन्नता के आधार पर घरेलू उद्योग द्वारा पारदर्शी एवं गैर-मनमाने ढंग से परस्पर एक उपयुक्त फार्मूला निकाला गया। एआईएफएमपी द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए घरेलू एवं औद्योगिक उपयोक्ता, जिनमें याचिकाकर्ता भी शामिल हैं, इस बात पर सहमत हुए कि इस समझौता ज्ञापन ने भारत में संबद्ध वस्तु के उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा की है जबकि इसने चीन जन.गण. के निर्यातकों द्वारा इन प्लेटों के प्रचलित पाटन के जरिए अपनाई गई अनुचित व्यापार प्रक्रियाओं से घरेलू उद्योग के हितों की रक्षा भी होगी। इसलिए, प्राधिकारी को नियम 14 में उल्लिखित शर्तों के अंतर्गत जांच समाप्त कर देनी चाहिए क्योंकि आवेदकों ने अपनी याचिका वापस ले ली है।

13. घरेलू उद्योग ने इस एसोसिएशनों की सामाजिक स्थिति का मुद्दा उठाया है जिसके कारण समीक्षा के लिए आवेदन दायर किया है और तदुपरांत इस आधार पर वापस ले लिया कि वे केवल प्रयोक्ता एसोसिएशन हैं और वे हितबद्ध पक्षकारों के रूप में माने जाने के लिए आयातकों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं।

14. घरेलू उद्योग ने जांच की शुरूआत के लिए प्रस्तुत की गई परिवर्तित परिस्थितियों के दावे का खंडन किया है और आयाता मात्रा, मांग और चीन से निर्यातों आदि के संबंध में कतिपय सूचना प्रस्तुत की है जिससे कि यह साक्ष्यांकित हुआ कि इस समीक्षा की जरूरत के लिए परिस्थितियों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ।

निर्यातक मैसर्स कोडक चीन के विचार

15. मैसर्स कोडक, चीन ने, इस मामले के गुणावगुण पर विचार किए बिना अपने संक्षिप्त आत्म निवेदन में यह प्रस्तुतिकरण किया है कि प्राधिकारी का यह विशेषाधिकार है कि वे इस मध्यावधि समीक्षा जांच को जारी रखे अथवा उसे समाप्त कर दें। यदि प्राधिकारी इस समीक्षा को जारी रखना चाहते हैं तो कोडक और इसके निकाय सहयोग करेंगे और इस जांच में अपनी प्रतिभागिता जारी रखेंगे।

याचिकाकर्ताओं और ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ मास्टर प्रिंटर्स के विचार

16. याचिकाकर्ता एसोसिएशन अर्थात नौएडा आफसेट प्रिंटर्स एसोसिएशन और आंध्र प्रदेश प्रिंटर्स एसोसिएशन ने इस सुनवाई में प्रतिभागिता नहीं की और उन्होंने लिखित प्रस्तुतिकरण भी दायर नहीं किया है। तथापि, आल इंडिया फेडरेशन आफ मास्टर प्रिंटर्स ने अपने दिनांक 17 जून, 2015 के पत्र में याचिकाकर्ताओं द्वारा लिए गए इस निर्णय का समर्थन किया है कि इस याचिका को वासल ले लिया जाए और अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रस्तुत किया है कि डिजिटल प्रिंटिंग प्लेट्स पर पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण किए जाने के पश्चात इस फेडरेशन ने इसका हल निकालने के लिए एसोसिएशन के साथ-साथ टेक्नोवा के साथ कई बैठकों का आयोजन किया जिससे कि यह सुनिश्चित हो सके कि अधिरोपित पाटनरोधी शुल्क का घरेलू उद्योग द्वारा अपने फायदे के लिए दुरुपयोग ने किए जाए और डिजिटल आफसेट प्रिंटिंग प्लेट्स की कीमतों में मनमानी वृद्धि न कर सके और दोनों पक्षों के साथ विस्तृत विचार-विमर्श के पश्चात दोनों पक्षों के बीच दिनांक 14 जनवरी, 2014 को एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। उक्त समझौता ज्ञापन के अंतर्गत टेक्नोवा ने यह सुनिश्चित करने का वचन दिया कि वह एल्युमिनियम की कीमतें और प्रमुख अंतर्निविष्ट सामग्री की कीमतों के अनुरूप डिजिटल प्रिंटिंग प्लेट्स की उचित कीमतें सुनिश्चित करें। यद्यपि एल्युमिनियम की कीमतों का अनुवीक्षण तिमाही आधार पर किया जाएगा तथा अन्य बड़ी इनपुटों की लागत आदि का अनुवीक्षण वार्षिक आधार पर किया जाएगा। इन इनपुट लागत भिन्नताओं के आधार पर एक उपयुक्त फार्मूला पर परस्पर सहमति हुई, जिसके आधार पर टेक्नोवा द्वारा कीमतों में संशोधन किया जाएगा।

17. यह प्रस्तुतिकरण किया गया है कि यह व्यवस्था देश में आफसेट डिजिटल प्रिंटिंग प्लेट्स के उपभोक्ताओं के हितों की उपयुक्त ढंग से सुरक्षा करेगा, जब कि यह घरेलू उद्योग के हितों की भी चीन जन.गण. के निर्यातकों द्वारा इन प्लेटों के व्यापक पाटन के जरिए अपनाई गई अनुचित व्यापार प्रक्रियाओं से भी रक्षा करेगा। अत: यह समझौता ज्ञापन घरेलू उद्योग के लिए और भारत में प्रिंटिंग प्लेट्स के उपभोक्ताओं के लिए एक लाभप्रद स्थिति है।

18. परिसंघ ने पुन: यह प्रस्तुतिकरण किया है कि पीएसएल लाभ प्रिंटिंग प्लेट्स के लिए घरेलू उद्योग के लिए एक समान समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर तब किए गए जब चीन जन.गण., मलेशिया, इंडोनेशिया और दक्षिण कोरिया के मूल के अथवा वहां से वर्ष 2007 में निर्यातित उत्पाद पर पाटनरोधी शुल्क लगाया गया। इस प्रबंध ने मुद्रण विरादरी के हितों की उपयुक्त ढंग से रक्षा की है और इसलिए डिजिटल आफसेट प्रिंटिंग प्लेट्स के लिए टेक्नोवा के साथ एक करार करने में पर्याप्त विश्वास पैदा हो गया। उपर्युक्त परिस्थितियों के अंतर्गत चीन जन.गण. के मूल के

अथवा वहां से निर्यातित डिजिटल आफसेट प्रिंटिंग प्लेट्स पर मौजूदा पाटनरोधी शुल्क की मौजूदा मध्यावधि समीक्षा की अपेक्षा अनधिपत्रित है और इसलिए उसे खारिज कर दिया जाए।

प्राधिकारी के विचार

19. प्राधिकारियों ने सभी पक्षकारों की बात सुनी और उपर्युक्त मुद्दे पर उनके द्वारा दायर लिखित प्रस्तुतिकरणों की जांच की है और यह नोट करते हैं कि यह जांच दो प्रयोक्ता एसोसिएशनों द्वारा दायर की गई याचिका के आधार पर यह जांच शुरू की गई थी। इस समीक्षा की शुरूआत करने अथवा उसके समर्थन में प्राधिकारी के समक्ष इस संबद्ध वस्तु का कोई भी आयातक अथवा उपभोक्ता नहीं आया। याचिकाकर्ता एसोसिएशनों ने अपनी याचिका वापस ले ली और प्राधिकारी से यह जांच समाप्त करने का अनुरोध किया क्योंकि उनकी घरेलू उद्योग के साथ इस उत्पाद की उपलब्धता, उसकी कीमत, गुणवत्ता के संबंध में एक सूझबूझ हुई है। घरेलू उद्योग भी इस समीक्षा जांच की निरंतरता बनाए रखने के पक्ष में नहीं है। इसके अतिरिक्त, कोई भी निर्यातक इस समीक्षा जांच की निरंतरता बनाए रखने के इच्छुक नहीं हैं।

20. चूंकि, याचिकाकर्ताओं सहित, किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने वर्तमान मध्यावधि समीक्षा जांच की निरंतरता बनाए रखने की इच्छा व्यक्त नहीं की है इसलिए प्राधिकारी का यह विचार है कि इस जांच को स्वैच्छिक आधार पर जारी रखने से कोई लाभप्रद प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा।

21. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी यह धारित करते हैं कि इस मध्यावधि समीक्षा जांच को जारी रखने की कोई जरूरत नहीं है और इसलिए इस जांच को इसके उपरांत समाप्त करते हैं।

22. तथापि, यह किसी हितबद्ध पक्षकारों के, इस प्रभावी शुल्क की भविष्य की किसी तारीख पर, यदि परिस्थितियां, इस तरह अधिपत्रित करती हैं तो, समीक्षा की मांग करने के पूर्वाग्रह के बिना है, बशर्ते कि ऐसे हितबद्ध पक्षकार द्वारा, नियमों के अनुसार, इस समीक्षा की जरूरत के लिए पर्याप्त सकारात्मक सूचना प्रदान की जाती है।

जे. के. दादू, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Commerce)
(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI DUMPING AND ALLIED DUTIES)

NOTIFICATION

New Dellhi, the 3rd July, 2015

Subject: **Termination of Mid-term Review of anti-dumping duty imposed on imports of Digital Offset Printing Plates originating in or exported from China PR.**

No. 15/27/2013-DGAD - Whereas having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Duty or Additional Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended (hereinafter referred to as AD Rules), on the basis of a petition filed by NOIDA Offset Printers' Association & Andhra Pradesh Printers' Association (associations of the user industries of the subject goods), providing positive information regarding changed circumstances and substantiating the need for a mid -term review of the anti-dumping duty imposed on the subject goods originating in or exported from China PR, in terms of Rule 23 supra, the Designated Authority (herein after referred to as the Authority), vide Notification Number No. 15/27/2013-DGAD dated 26th September 2014 initiated an investigation for midterm review of the antidumping duty on import of Digital Offset Printing Plates (hereinafter referred to as subject goods) originating in or exported from China PR (hereinafter referred to as subject country), imposed vide Customs Notification No. 51/2012- Customs (ADD) dated 03.12.2012, pursuant to the recommendations of the Designated Authority in its final findings dated 3rd October,2012, in the original investigation.

2. In their petition the petitioners claimed that the conditions of both dumping and injury have changed substantially requiring a review of the anti-dumping measure in force. They stated that the prices of Aluminum, which is basic raw material for manufacturing of the subject goods, have substantially decreased in the global market after imposition of duty, impacting the cost of production and therefore, the normal values of the exporters and the non-injurious price of the domestic industry necessitating a review of the degree and extent of dumping and injury and need for continuation or modification of the duty.

3. It was further submitted that due to significant appreciation of Indian Rupees, compared to the period of investigation in the original investigation, the landed price of imports of the subject goods in India has substantially increased without substantial increase in cost of production in India. Therefore, there is a likelihood that the injury margin is now negative, and therefore, necessitating a review for revocation of duty.

4. The petitioners argued that due to appreciation of rupee *vis-a-vis* US Dollar, the landed price of the subject goods has substantially increased much above the current non-injurious price of the domestic industry necessitating revocation of the duties.

5. The petitioners further claimed that the condition of the domestic industry has improved substantially and there is no apparent dumping of the subject goods from the subject country. Therefore, a review, to examine the need for continued imposition of anti-dumping duty on the subject goods originating in or exported from subject country was necessary as the conditions of dumping and injury has changed and the domestic industry is not suffering any injury.

6. Accordingly, the initiation notification stated that the review shall cover all aspects of Notification No. 14/07/2011-DGAD dated 3rd October, 2012, including the degree and extent of dumping and injury in view of the changed circumstances.

7. In accordance with the Rules all known interested parties, including the domestic industry, exporters, importers, and the Govt. of China PR were intimated about the initiation of the mid-term review seeking their response. In response to the initiation of the mid-term review investigation, the Domestic Industry for this product i.e., M/s Technova Imaging System Ltd. filed its cost and injury data for the review of their cost and injury information. One of the producing exporters from China i.e., M/s Kodak Graphic Communications Company Limited and its associated Companies, i.e, M/s Kodak (China) Investment Company Limited; and M/s Kodak India Private Limited filed their exporter's and importer's questionnaire responses.

8. However, the two petitioners i.e., NOIDA Offset Printer's Association and Andhra Pradesh Printer's Association, vide letters dated 31st January and dated 21st February 2015 respectively, withdrew their petition and have requested for termination of the investigation on the grounds that they have reached an understanding with the domestic industry for supply of state-of-art digital plates of global standards at globally competitive prices with total technical support etc. The petitioners have *inter alia* submitted that certain crucial developments have taken place after the filing of the mid-term review application and the circumstances which made them to file the mid-term review application have changed drastically. The Associations have entered into a MOU with the domestic industry i.e., M/s Technova Imaging Systems (P) Ltd. (TISPL), under which TISPL has assured them that

i. TISPL has no intention of depriving the users of the fair price products or to take unfair advantage of the antidumping duty imposed by the Government of India on the subject goods imported from China PR;

ii. TISPL is committed to enhance the global competitiveness of the Indian printing industry by providing state of art digital plates of global standards at globally competitive prices with total technical support, easy availability, nationwide uniform and transparent pricing, technology updated training programs, and most importantly, uncompromising ethical business practices;

iii. TISPL would welcome a dialogue with users industry to better understand their needs and customize its offering to serve them in best possible manner.

9. The petitioner Associations have further submitted that they are fully satisfied with the commitments and assurance given by Technova with regards to quality and price of Digital Printing Plates to the user industry and members of the associations. Therefore, they do not insist to seek any modification in the existing antidumping duty as recommended by the Designated Authority and levied by the Ministry of Finance vide custom notification No. 511/2012- Customs (ADD) dated 3rd December, 2012.

10. In view of the above developments the Authority decided to give a hearing to all interested parties before deciding whether to terminate the investigation on the request of the petitioners or continue the investigation in view of the changed circumstances brought before it. Accordingly, a hearing was held on 15.05.2015. The hearing was attended by the representatives of the domestic industry i.e., M/s Technova; the participating producer/exporter from China i.e., M/s Kodak, China; and the All India Federation of Master Printers. Representative of the Chinese Embassy also attended the hearing. However, the petitioner associations did not attend the hearing.

11. The parties attending the hearing were advised by the Designated Authority to file their written submissions on the basis of which final decisions shall be taken. The views expressed by the interested parties in their respective oral as well as written submissions are as follows:

Views of the Domestic Industry

12. The domestic industry, i.e., M/s Technova, in its submissions, has *inter alia* submitted that the Domestic Industry and M/s All India Federation of Master Printers (AIFMP), which is the apex body of Commercial Printers'

Associations in India comprising of about 67 affiliate Associations of Commercial Printers representing the commercial printers of their respective regions, including the petitioners, have entered into a Memorandum of Understanding. Under this MoU the Domestic Industry has *inter alia* undertaken to ensure fair pricing of the subject goods in line, with the prices of Aluminum and other major input materials. It is also agreed that based on the variation of the input costs a suitable formula was mutually deduced for any price revision by the Domestic Industry in a transparent and non-arbitrary manner. Both the Domestic Industry and the industrial users represented by the AIFMP, which includes the petitioners, agreed that the MoU protected the interests of the consumers of the subject goods in India, while it also protected the interests of the domestic industry from the unfair trade practices followed through rampant dumping of these plates by the exporters in China PR. Therefore, the Authority should terminate the investigation in terms of Rule 14 of the Rules since the applicants have withdrawn the petition.

13. The domestic industry has also raised the issue of *locus standi* of the associations who had filed the application for review and subsequently withdrew it on the grounds that they are only user associations and do not represent the importers to be treated as interested parties.

14. The domestic industry has also refuted the claim of changed circumstances information submitted by the petitioners for initiation of the investigation and has submitted certain information with regard to the import volumes, demand, and exports from China etc. to substantiate that there is no changed circumstances to necessitate this review.

Views of Exporter M/s Kodak, China

15. M/s Kodak, China, in its brief submission, without going into the merits of the case, has submitted that it is the prerogative of the Authority to decide whether to continue with the present mid-term review or to terminate the same. Should the Authority decide to continue with the review, Kodak and its entities will cooperate and continue to participate in the investigation.

Views of the Petitioners and the All India Federation of Master Printers

16. The petitioner Associations i.e., NOIDA Offset Printer's Association and Andhra Pradesh Printer's Association did not attend the hearing and have not filed any written submission also. However, All India Federation of Master Printers, in its letter dated 17th June 2015, has reiterated the stand taken by the petitioners in their letters withdrawing the petition and has *inter alia* submitted that *s*ubsequent to the imposition of antidumping duty on Digital Printing Plates the Federation held various internal meetings among its constituent Associations as well with Technova to find solutions to ensure that the Antidumping duty imposed is not misused by the Domestic industry to its advantage by an arbitrary increase in the prices of the digital offset printing plates and after detailed deliberations both sides have entered into a Memorandum of Understanding (MOU) signed on 14th January 2014. Under the said MOU, Technova has undertaken to ensure fair pricing of its digital printing plates in line with the prices of Aluminum and major input materials. While the Aluminum prices will be monitored on a quarterly basis, the other major inputs costs, etc. will be monitored on an annual basis. Based on these inputs costs variation a suitable formula was a mutually agreed, on the basis of which the price revision would be made by Technova.

17. It has been submitted that this arrangement adequately protects the interest of the consumers of the Offset digital printing plates in the country, while it also protects the interest of the Domestic industry from the unfair trade practices followed through rampant dumping of these plates by the exporters in China PR. Thus, this MoU is a win-win situation for the domestic industry as well as for the consumers of the Printing Plates in India

18. Federation has further submitted that a similar MoU was signed with the domestic industry for the PS Analog Printing plates when antidumping duty was imposed against this product originating in and exported from China PR, Malaysia, Indonesia and South Korea in the year 2007. The arrangement had worked symbiotically and adequately protecting the interest of the Printing fraternity and hence this gave them sufficient confidence to enter into an agreement with Technova for the digital offset printing plates as well. Under the above circumstances, the Federation believes that the requirement of Mid Term Review of the existing antidumping duty on Digital Offset Printing Plates originating in or exported from China PR is unwarranted and hence be terminated.

Views of the Authority

19. The Authority has heard the parties and examined the written submissions filed by them on the above issue and notes that the investigation was initiated on the basis of a petition filed by two users' Associations. No other importer or user of the subject goods has come before the Authority for initiation of the review or support the

same. The Petitioner Associations have withdrawn the petition and have requested the Authority to terminate the investigation as they have reached an understanding with the domestic industry about the price, quality and availability of the products. The domestic industry is also not in favour of continuation of the review investigation. Further, none of the exporters is interested in continuation of the review investigation.

20. Since none of the interested parties, including the petitioners, are interested in continuation of the present mid-term review investigation the Authority is of the view that no useful purpose would be served in continuing with the investigation on *suo moto* bais.

21. In view of the above, the Authority holds that there is no need to continue with this mid-term review investigation and therefore, hereby terminates this investigation forthwith.

22. This is however, without prejudice to the rights of any interested party to seek a review of the duties in force at a future date, if the situation so warrants, provided sufficient positive information necessitating such a review is provided by such interested party in accordance with Rules.

J. K. DADOO,Designated Authority

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.